



प्रेस विज्ञप्ति

08.09.2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), लखनऊ ज़ोनल कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत मेसर्स उन्नति फॉर्च्यून होल्डिंग्स लिमिटेड (यूएफएचएल) व उसके प्रमोटरों/निदेशकों के विरुद्ध चल रहे मामले में अनिल मिठास एचयूएफ, मेसर्स यूएफएचएल के प्रमोटर से संबंधित मेसर्स उन्नति फॉर्च्यून होल्डिंग्स लिमिटेड (यूएफएचएल) द्वारा विकसित किए जा रहे अरण्य प्रोजेक्ट में 100.06 करोड़ रुपये (लगभग) की संपत्ति को अनंतिम रूप से कुर्क किया है।

ईडी ने उन्नति फॉर्च्यून होल्डिंग लिमिटेड (यूएफएचएल), अनिल मिठास, मधु मिठास व मेसर्स यूएफएचएल के अन्य प्रमुख अधिकारियों के खिलाफ आईपीसी, 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत उप पुलिस द्वारा दर्ज विभिन्न एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की।

ईडी की अब तक की जांच से पता चला है कि मेसर्स यूएफएचएल कंपनी के मुख्य प्रमोटर और प्रमुख व्यक्ति अनिल मिठास द्वारा धन-शोधन के विभिन्न उपकरणों जैसे इक्विटी निवेश, वरीयता शेयर, डिबेंचर/बॉन्ड, ऋण व अग्रिम और संबंधित पार्टियों को सुरक्षा जमा के माध्यम से अपराध अवधि यानी 2011 से 2019 के दौरान मेसर्स यूएफएचएल के कई बैंक खातों में घर खरीदारों/निवेशकों से एकत्रित धन में से लगभग 126.30 करोड़ रुपये का हेर-फेर किया गया है। मेसर्स यूएफएचएल के धन का यह हेर-फेर/गबन परियोजना के लिए पूर्वाग्रहपूर्ण रहा है, जिससे परियोजनाएं पूरी नहीं हो पाईं और घर खरीदारों/निवेशकों के धन का दुरुपयोग हुआ, जिससे वित्तीय संस्थानों और घर खरीदारों को भारी नुकसान हुआ और मेसर्स यूएफएचएल के निदेशकों व प्रमोटरों को गलत लाभ हुआ।

कंपनी के मुख्य प्रमोटर अनिल मिठास को ईडी ने 16/04/2025 को गिरफ्तार किया था, जो वर्तमान में न्यायिक हिरासत में हैं। 17/04/2025 को विभिन्न संबंधित परिसरों में तलाशी ली गई, जिसके परिणामस्वरूप अपराध-संकेती दस्तावेज़ और डिजिटल साक्ष्य जब्त किए गए। इससे पहले, ईडी, लखनऊ ने 11.06.2025 को एक अनंतिम कुर्की आदेश जारी किया था, जिसमें मेसर्स यूएफएचएल के पूर्व निदेशकों/प्रमोटरों और उनकी संबद्ध संस्थाओं की 25.94 करोड़ रुपये मूल्य की 01 चल और 12 अचल संपत्तियां कुर्क की गई थीं।

ईडी ने 13.06.2025 को माननीय विशेष न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निरोधक, सीबीआई गाजियाबाद की अदालत के समक्ष आरोपी कंपनी यानी मेसर्स उन्नति फॉर्च्यून होल्डिंग्स लिमिटेड (यूएफएचएल) और इसके प्रमोटर अनिल मिठास के विरुद्ध पीएमएलए, 2002 के तहत अभियोजन शिकायत भी दायर की है। अब तक, मेसर्स यूएफएचएल व उसके प्रमोटरों/सहयोगी संस्थाओं से संबंधित 126 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्ति ईडी द्वारा कुर्क की जा चुकी है।

आगे की जांच जारी है।